

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:-

बनाम

रेस्पोजेन्ट :-

हरलाल सिंह मार्फत निर्मल बुक डिपा,  
इम्पलस कोचिंग के पास पिपराली रोड,  
सीकर, जिला सीकर (राज.) 332001

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 95/2019

R.C.M.S. No. --2019/00 268

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>31/9/19</p> <p>13/9/19</p>	<p>अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोजेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलान्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 13/9/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>यह अपील अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली से सूचना प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली द्वारा अपने फॉक गणनें क्र. क्र/187/2019/1526 दि. 11-9-2019 के क्रमानुसार बताया कि उनके द्वारा उपर सूचना उनके समक्ष फॉक 1382 दि. 5/8/2019 के अति अपीलान्ट के तमाम विद्युत पर सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। इसलिए उपर सूचना निरास करने हेतु निवेदन किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी (ADMP) पाली से वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवा दी गई है। जिससे इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। इस कारण से अपील अपीलान्ट इसी तरह वादव्यवस्था की जाती है। फावेली बुक डिपा की जाकर गणनें से कर हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर पाली</p>	<p>1369-70 31/9/19</p>